

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक : एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था/ब/स.बल/2013/

दिनांक 15.09.2017

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग मे की गई पशुधन सहायक भर्ती-2013 के क्रम में विभिन्न न्यायिक वाद प्रकरणों के निर्णित होने पर निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर से जारी पशुधन सहायक भर्ती-2013 (अस्थाई संशोधित चयन एवं मेरिट सूची) चयन आदेश क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था/ब/स.बल/2013/4201 दिनांक 08.09.2017 अस्थाई संशोधित चयन एवं मेरिट सूची मे निम्नानुसार नवीन चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 04.10.2017 को किया जावेगा:-

s.n.	Applicant Name	Father Name	Date of Birth	Gender	Category
1	Lokesh	Ram Ratan	01-फरवरी-93	Male	Non TSP - S.C.
2	Virendra Katariya	Tara Chand Katariya	10-जनवरी-92	Male	Non TSP - S.C.
3	Mukesh Kumar Verma	Hari Narayan Verma	30-जून-85	Male	Non TSP - S.C.
4	Hemraj Singhadiya	Suraj Mal Singhadiya	07-मई-90	Male	Non TSP - S.C.
5	Amandeep Singh	Sukhdev Singh	01-जनवरी-89	Male	Non TSP - S.C.
6	Jeet Singh Khangar	Ramji Lal Khangar	20-मार्च-92	Male	Non TSP - S.C.
7	Champa Lal	Hari Lal	10-फरवरी-91	Male	Non TSP - S.C.
8	Surendra Kumar Mahayach	Dharpal Mahayach	05-जुलाई-88	Male	Non TSP - S.C.
9	Brajesh Jatav	Bhagvan Singh	10-नवम्बर-91	Male	Non TSP - S.C.
10	Virendra Kumar	Ram Chandra Roat	05-जुलाई-90	Male	TSP - S.T.

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 बजे निदेशालय में निर्देशित समस्त दस्तावेजों फोटो पहचान पत्र सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करावे।


सलंगन :- दिशा निर्देश

क्रमांक : एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था/ब/स.बल/2013/4224-34

दिनांक 15.09.2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी


(डॉ. महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)

दिशा निर्देश

चयन हेतु निदेशालय द्वारा सूचित दिनांक को निम्नांकित मूल दस्तावेज मय दो प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या उद्यान कृषि (कृषि) पशुपालन और जीव विज्ञान के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र व अंक तालिका।
2. जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / टी.ए.डी./सहरिया का सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्र।
4. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग जाति के अभ्यर्थियों हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत नॉन क्रीमीलेयर का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र छः माह से पूर्व का नही होना चाहिए।
5. टी. ए. डी. क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र।
6. पशुधन सहायक का एक वर्ष/दो वर्ष का प्रशिक्षण करने सम्बन्धी अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
7. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. संतान संबंधी घोषणा पत्र।
9. अन्तिम परीक्षा जिस संस्था से उत्तीर्ण की है उस संस्था के प्राचार्य से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
10. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
11. दो पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति जो 6 माह से पूर्व का न हो।
12. दो रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साईज का।